बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 72/आवंटन/   पटना, दिनांक 15.11.17

सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 15/2017

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
पूर्णिया।

विषय :– मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–107– रेशम उत्पादन उद्योग, उपशीर्ष–0101–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23–2851001070101, के अन्तर्गत विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण मद से वित्तीय वर्ष 2017–18 में मलवरी विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु रू0 12,02,38,000/– (बारह करोड़ दो लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4782 दि0 13.11.2017 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में रू0 12,02,38,000/– (बारह करोड़ दो लाख अड़तीस हजार रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–107–रेशम उत्पादन उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0101–पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना–रेशम का विकास, विपत्र कोड–23-2851001070101, के विषय शीर्ष 0101.31.05 सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण मद से विकलित होगा।

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

5 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 एवं मासिक CTMIS प्रतिवेदन के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

6 2017–18 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2018 तक अवश्य भेज दें।

7 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4782 दि0 13.11.2017 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए।

विश्वासभाजन

15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

कृ0 पृ0 उ0

ज्ञापांक 72/3आ0

पटना, दिनांक 15.11.17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 72/3आ0

पटना, दिनांक 15.11.17

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णिया/जिलाधिकारी, पूर्णिया, अररिया, सहरसा एवं किशनगंज/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/परियोजना पदाधिकारी, मलवरी प्रसार–सह–प्रशिक्षण केन्द्र, सहरसा एवं किशनगंज/महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द, पूर्णिया, अररिया, सहरसा एवं किशनगंज/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार, पटना/संबंधित जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 15/11/17

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।